राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम संख्या 42)

(राज्यपाल की अनुमति तारीख 4 दिसम्बर, 1957 को प्राप्त हुई)

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

यत:, राज्य में माध्यमिक शिक्षा की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील ढंग पर विकसित करने की दृष्टि से, ऐसी शिक्षा का पुनः संगठन, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल यह अधिनियम बनाता है :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ :—

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. निर्वचन :—

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

(क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "निदेशक" से जब यह किसी विभाग विशेष के बारे में प्रयुक्त हुआ हो उस विभाग विशेष का निदेशक अभिप्रेत है और जहां किसी विभाग के निदेशक का पद रिक्त हो तो उस विभाग विशेष का अपर निदेशक उसके अन्तर्गत आता है;

(घ) "संस्था के प्रधान" से बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा इंटरमीजिएट महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अभिप्रेत है;

(ङ) "निरीक्षक अफसर" से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का निरीक्षक अफसर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन शिक्षा का उप-निदेशक,

विद्यालयों का निरीक्षक, विद्यालयों का उप-निरीक्षक और विद्यालयों की निरीक्षिका एवं विद्यालयों की उप-निरीक्षिका भी आती है;

(च) "संस्था" से माध्यमिक शिक्षा देने वाली संस्था अभिप्रेत है और संस्था का कोई भाग भी उसके अन्तर्गत आता है;

(छ) "विहित" से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "प्रधानाचार्य" से महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(झ) "मान्यता प्राप्त" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित जब वह संस्थाओं के बारे में प्रयुक्त हुआ है, बोर्ड से प्राप्य विशेष प्रसुविधा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना अभिप्रेत है;

(ञ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(ट) "माध्यमिक शिक्षा" से ऐसी साधारण, विशेष अथवा व्यावसायिक शिक्षा अभिप्रेत है जो स्वयं में संपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण है और जो मिडिल स्कूल शिक्षा के प्रक्रम अथवा उसकी समतुल्य शिक्षा के ठीक बाद आती है, और राजस्थान में किसी विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रक्रम के ठीक पूर्ववर्ती है;

परन्तु इस में निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे और सम्मिलित हुये माने जायेंगे :—

(i) शारीरिक शिक्षा,
(ii) तकनीकी शिक्षा,
(iii) व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण भी सम्मिलित है,
(iv) औद्योगिक शिक्षा,
(v) वाणिज्यिक शिक्षा,
(vi) कृषि शिक्षा,
(vii) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त के लिए शिक्षा,
(viii) किन्हीं सुधार विद्यालयों, जेलों तथा पतित या निराश्रित महिलाओं के संरक्षण के लिए बनी संस्थाओं में शिक्षा, और
(ix) किसी प्राच्य भाषा, कला, संगीत अथवा शिल्प, के ऐसे विशेष पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे और जिनको राज्य सरकार, राज-पत्र में अधि-सूचना द्वारा, बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा के प्रति निर्देश के साथ अथवा बिना निर्देश के अपने अनुमोदन से निदेशित करें;

(ठ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 14 द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" से विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ण) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) इस अधिनियम के निर्वचन हेतु उसी प्रकार लागू होता है जैसा कि वह उसमें यथा परिभाषित किसी राजस्थान विधि के निर्वचन के लिये लागू होता है।

अध्याय 2

बोर्ड का गठन

3. **बोर्ड का निगमन :—**

(1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान के लिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगी।

(2) बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा, और उसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी जिसमें जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित और धारित करने और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा धारण की हुई किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने तथा उसके गठन के प्रयोजनों के लिए संविदा करने और अन्य समस्त आवश्यक कार्य करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा अथवा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. **बोर्ड की संरचना :—**

(1) बोर्ड में धारा 16 के अनुसार नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

I—पदेन सदस्य

(क) निदेशक, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) राजस्थान;

(ख) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान;

(ग) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान;

(घ) निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान;

*(ङ) उप महानिदेशक नेशनल केडेट कोर, राजस्थान;

(च) राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रधान;

---

* राजस्थान राजपत्र मई 31, 1990 में प्रकाशित शिक्षा (ग्रुप – 2) विभाग, की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 1990 द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय केडेट कोर, राजस्थान का उपनाम संशोधित कर "उप-महानिदेशक, नेशनल केडेट कोर, राजस्थान" किया गया।

II—निर्वाचित सदस्य

(छ) राजस्थान में प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के प्रत्येक संकाय में से चक्रानुक्रम से निर्वाचित एक व्यक्ति;

(ज) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की सीनेट द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य अथवा प्राचार्य होंगे, जिनमें से एक महिला होगी;

(झ) दो ऐसे व्यक्ति जो राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधि होंगे और जो उक्त संघ की कार्यपालिका द्वारा निर्वाचित होंगे।

III—(क) नाम निर्दिष्ट सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)

(ञ) राज्य में इंजीनियरिंग महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य अथवा राज्य में किसी विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग संकाय का शाखाध्यक्ष;

(ट) राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य अथवा राजस्थान में किसी विश्वविद्यालय की औषध संकाय का शाखाध्यक्ष;

(ठ) राज्य में कृषि महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य अथवा कृषि संकाय का शाखाध्यक्ष अथवा प्राद्योगिकी तथा कृषि इंजीनियरिंग शाखाध्यक्ष अथवा राज्य में किसी विश्वविद्यालय के गृह-विज्ञान का शाखाध्यक्ष;

(ड) राज्य में पशु-चिकित्सा महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य अथवा राज्य में किसी विश्वविद्यालय के, पशु-चिकित्सा अथवा पशु विज्ञान का शाखाध्यक्ष;

(ढ) एक अध्यापक, जो शारीरिक शिक्षा का विशेषज्ञ हो;

(ण) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निरीक्षक अफसरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;

(त) राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ व्यक्ति जिनमें से कम से कम दो महिला संस्थाओं के और दो प्राइवेट संस्थाओं के प्रधान होंगे;

(थ) एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ऐसे शैक्षणिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उचित और आवश्यक समझे जिनका अन्यथा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न किया गया हो;

(द) राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य;

III—(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य (विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।)

(ध) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य विधान सभा के दो सदस्य;

IV– सहयोजित सदस्य

(न) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो व्यक्ति, जो विशिष्ट शिक्षाविद् हों।

(2) यदि उप-धारा (I) के खड (छ), (ज तथा झ) में निर्देशित निकायों में से कोई भी निकाय विहित समय के भीतर बोर्ड के लिये सदस्य का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य के लिए अपेक्षित योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी; और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये उस निकाय द्वारा निर्वाचित सदस्य समझा जायेगा।

5. बोर्ड का मुख्यालय :—

बोर्ड अपना मुख्यालय ऐसे स्थान पर रखेगा जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचित किया जाय।

6. सदस्यों की पदावधियाँ :—

बोर्ड के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य, धारा 8 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे;

परन्तु ऐसे सदस्य उक्त तीन वर्ष की कालावधि के पश्चात् भी तब तक पद धारण करना जारी रखेंगे जब तक कि धारा 8 के अधीन उनके उत्तराधिकारी अधिसूचित नहीं कर दिये जायें।

7. पदावधि के अवसान पर रिक्त पदों का भरा जाना :—

जब पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि का अवसान हो जाने पर इस प्रकार हुई रिक्तियाँ एक महीने के भीतर विहित रीति से भरी जायेंगी।

8. नामों का प्रकाशन :—

उन व्यक्तियों के नाम जो धारा 4 के अनुसार बोर्ड के सदस्य होने के लिए नाम निर्दिष्ट अथवा निर्वाचित किये गये हों, राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

9. बोर्ड की शक्तियाँ तथा कृत्य :—

इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड—

(I) राज्य में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु शिक्षण का पाठ्यक्रम विहित करेगा :—

(क) जो राजस्थान में किसी ऐसी माध्यमिक शिक्षा संस्था में, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों का अध्ययन करते हैं,

(ख) जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक हो;

(ग) जो विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन प्राइवेट तौर पर अध्ययन करते हों, और ऐसी ही अधिकथित शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षाएें पास करते हों,

(2) माध्यमिक शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों के आधार पर, जो विहित किये जायें सार्वजनिक परीक्षाओं का संचालन करेगा;

(3) बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करेगा;

(4) ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करेगा—

(क) जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो;

(ख) जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक हों; अथवा

(ग) जिन्होंने विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन प्राइवेट तौर पर अध्ययन किया हो और बोर्ड की परीक्षा पास कर ली हो;

(5) संस्थाओं को अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ व उन्हें बोर्ड से प्राप्त विशेष प्रसुविधा प्राप्त कराने के प्रयोजनार्थ मान्यता देगा;

(6) अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति देगा;

(7) ऐसी फीसों की, जो विहित की जायें, मांग करेगा तथा उन्हें प्राप्त करेगा;

(8) अन्य प्राधिकारियों से, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो बोर्ड अवधारित करें और विशिष्टत: से माध्यमिक शिक्षा का एक ओर विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ तथा दूसरी ओर प्राथमिक या मिडिल स्कूल शिक्षा के साथ समन्वय करने के लिए कार्यवाही करने हेतु सहयोग करेगा;

(9) राज्य सरकार के समक्ष ऐसे किसी मामले पर, जिससे राज्य सरकार सम्बन्धित हो, अपने विचार रखेगा;

(10) निदेशक से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की या मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की दशा के विषय में रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निर्देश देगा;

(11) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए और उनके निवास तथा अनुशासन की शर्तें विहित करने के लिए उपाय करेगा;

(12) भाषणों, प्रदर्शनों तथा शैक्षिक प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन और व्यवस्था करेगा तथा ऐसे अन्य उपाय करेगा जो राज्य में माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक हो;

(13) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाये, छात्रवृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक संस्थित तथा प्रदान करेगा; और

(14) ऐसे समस्त अन्य कार्य करेगा, जो राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए गठित निकाय के रुप में बोर्ड के उद्देश्यों की ओर अग्रसर होने के लिये अपेक्षित हों ।

अध्याय 3

निधियाँ, लेखे और संविदाएं

10. बोर्ड निधि का गठन :—

एक बोर्ड निधि का गठन किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन अथवा अन्यथा बोर्ड द्वारा या उसके लिये प्राप्त समस्त राशियाँ उसके खाते में जमा कराई जायेंगी।

11. बोर्ड निधि की अभिरक्षा तथा विनिधान :—

(1) दिन प्रतिदिन के व्यय के लिए अपेक्षित धन के सिवाय, बोर्ड-निधि का समस्त धन, किसी अनुसूचित बैंक के चालू अथवा बचत बैंक खाते में रखा जायेगा;

परन्तु इस धारा की कोई बात बोर्ड की ऐसी किन्हीं धन राशियों को, जो तुरन्त व्यय के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने अथवा किसी अनुसूचित बैंक के सावधि निक्षेप में उन्हें रखने या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से उन्हें विनिहित करने से, निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण :—इस उप धारा में अभिव्यक्ति "अनुसूचित बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय अंतर्विष्ट हों।

(2) किसी बैंक में बोर्ड के खाते बोर्ड के सचिव द्वारा अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो विहित किया जाय, प्रवर्तित किये जा सकेंगे।

12. बोर्ड निधि का उपनियोजन :—

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड निधि का उपयोजन निम्नलिखित के लिये किया जायेगा: —

(i) इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विभिन्न मामलों के आनुषंगिक उचित प्रभार तथा व्यय की अदायगी के लिये;

(ii) विनियमों के अनुसार अन्य प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड की शक्तियाँ दी जाती हों या उस पर कर्त्तव्य अधिरोपित किये जाते हों।

(2) वार्षिक शुद्ध बचत राज्य में केवल माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार के विनियोजन पर रखी जायेगी।

13. बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा :—

बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा प्रति वर्ष ऐसी एजेन्सी द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, संपरीक्षित लेखाओं तथा तुलनपत्र की एक प्रति बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को ऐसी तारीख तक, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत की जायेगी।

14. संविदाएं :—

समस्त लिखित संविदाओं और बोर्ड की सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों पर बोर्ड की ओर से सचिव द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाय, हस्ताक्षर किये जायेंगे और यदि वे इस प्रकार हस्ताक्षरित हो तो वे बोर्ड पर बंधनकारी होंगे।

अध्याय 4

बोर्ड के अधिकारी तथा उनके कर्त्तव्य और शक्तियाँ

15. बोर्ड के अधिकारी :—

इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात्:—

(1) अध्यक्ष,

(2) उपाध्यक्ष,

(3) बोर्ड के सचिव,

(4) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा बोर्ड के अधिकारी घोषित किये जायें।

16. अध्यक्ष

(1) बोर्ड का अध्यक्ष, एक ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें बोर्ड द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो उक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा, होंगे।

(2) इस प्रकार नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और दूसरी अवधि के लिए पुनः नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

17. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य :—

(1) अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होगा और उसका देखना यह कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) अध्यक्ष किसी भी समय विहित रीति से बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगा, तथा विहित रीति से ही विहित अंतरालों पर या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई से सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा जिसमें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य का वर्णन हो, की प्राप्ति पर बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य से पैदा होने वाली किसी आकस्मिक आवश्यकता में जिसके बारे में अध्यक्ष की राय में तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् बोर्ड को उसके आगामी अधिवेशन में उक्त कार्यवाही के विषय में रिपोर्ट करेगा।

(4) अध्यक्ष बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का, जिसमें वह उपस्थित हो, सभापतित्व करेगा।

18. उपाध्यक्ष :—

निदेशक, शिक्षा (प्राथमिक तथा माध्यमिक) विभाग राजस्थान, बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा।

19. उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य तथा शक्तियां:—

उपाध्यक्ष प्रशासनिक तथा शैक्षणिक समस्त मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा; ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें; और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

20. सचिव की नियुक्ति, शक्तियां तथा कर्त्तव्य:—

(1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये की जायेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे।

(2) सचिव, बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड के समस्त अधिवेशन, विनियमों द्वारा उपबन्धित रीति से सचिव के माध्यम से संयोजित किये जायेंगे।

(4) सचिव, इसके लिए उत्तरदायी होगा कि बोर्ड का समस्त धन उस प्रयोजन के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए वह मंजूर या आवंटित किया गया हो।

(5) सचिव, बोर्ड के समस्त अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) सचिव, को बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का हक होगा, किन्तु उसमें मत देने का हक नहीं होगा।

(7) सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं।

21. बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा सेवक:—

(1) राज्य सरकार, बोर्ड के लिये एक उप-सचिव तथा ऐसी संख्या में उसके सहायक सचिव ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जाएं।

(3) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण अथवा विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

परन्तु पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड निदेश दे सकेगा कि किन्हीं दो या अधिक पदों के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाय।

(4) सचिव, उप-सचिव तथा सहायक सचिव के अलावा, बोर्ड के अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें तथा वेतनमान विनियमों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

अध्याय 5

बोर्ड की समितियां

22. समितियों की नियुक्ति तथा गठन :—

(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियां नियुक्त करेगा, अर्थात् :—

(क) पाठ्यक्रम समितियां,
(ख) एक परीक्षा समिति,
(ग) एक पाठ्यचर्या समिति,
(घ) एक मान्यता समिति,
(ङ) एक मूल्यांकन समिति,
(च) एक वित्त समिति, और
(छ) ऐसी अन्य समितियां, जो विहित की जायें।

(2) वित्त समिति आय तथा व्यय का वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और अनुमोदित बजट की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी। बोर्ड या उसके प्रशासनिक या कार्यपालिक प्रधान द्वारा वित्त समिति की पूर्व अनुमति के बिना किसी नये मद पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक समिति में बोर्ड के ऐसे सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।

(4) सदस्यों की अवधि विनियमों द्वारा विहित होगी।

23. बोर्ड द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग :—

इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के, जिन्हें बोर्ड ने धारा 22 के अधीन नियुक्त किसी समिति को विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित किया हो, बोर्ड द्वारा प्रयोग से सम्बन्धित

समस्त मामलें उस समिति को निर्देशित किये जायेंगे, और बोर्ड, किन्हीं ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व, उस प्रश्नगत मामलें के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

अध्याय 6

बोर्ड तथा उसकी समितियों की प्रक्रिया

24. आकस्मिक रिक्तियां:—

बोर्ड के या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त या निर्वाचित किया था, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति, यथास्थिति बोर्ड या समिति, का ऐसी अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा जब तक वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या निर्वाचन हुआ है, सदस्य रहता।

25. रिक्तियों तथा अनियमितताओं के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना:—

बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान होने के कारण या उसके गठन में ऐसी त्रुटि या प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता होने के कारण, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करे, अविधिमान्य नहीं की जायेगी।

26. कोरम :—

बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी अधिवेशन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अधिवेशन में बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं हों।

27. हितबद्ध सदस्यों का विचार-विमर्श में भाग न लेना:—

कोई सदस्य ऐसे किसी मामले पर, जिसमें उसका कोई निजी हित हो विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा अथवा अपना मत नहीं देगा।

अध्याय 7

नियन्त्रण

28. राज्य सरकार को, किसी कार्य को किये जाने की अपेक्षा करने या किसी संकल्प के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति:—

(1) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा संचालित या किये हुये अथवा संचालित होने वाले या किये

जाने वाले किसी कार्य के बारे में बोर्ड को सम्बोधित कर सकेगी और ऐसे किसी मामले में, जिससे राज्य सरकार सम्बन्धित हो, बोर्ड को अपना दृष्टिकोण सूचित कर सकेगी ।

(2) बोर्ड उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त संसूचना पर ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जिसे वह करने का विचार रखता हो या जो की जा चुकी हो, रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा ।

(3) यदि बोर्ड, ऐसे मामलें के बारे में, जिस पर उप-धारा (1) के अधीन संसूचना प्राप्त हो चुकी हो, युक्तियुक्त समय के भीतर, ऐसी कार्यवाही न करे जिससे राज्य सरकार का समाधान हो, तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम के अनुरूप, ऐसे निदेश जिन्हें वह ठीक समझे, जारी कर सकेगी और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(4) राज्य सरकार की राय में जब किसी आकस्मिक आवश्यकता में तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार ऐसी कार्यवाही, जो वह आवश्यक समझे, बोर्ड से पूर्व परामर्श किये बिना कर सकेगी और उसकी सूचना बोर्ड को तुरन्त देगी ।

(5) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि बोर्ड का कोई संकल्प, आदेश या कार्य, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त की गई शक्तियों के बाहर है तो वह ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जिसमें उसके कारण विनिर्दिष्ट किये गये हों, बोर्ड के उस संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी और ऐसे किसी कार्य के जिसके किये जाने के लिये बोर्ड द्वारा आदेश दिये गये हों या जिसके किये जाने के लिये बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाना आशयित हो, किये जाने का निषेध कर सकेगी ।

29. बोर्ड का अधिक्रान्त करना:—

यदि किसी समय, राज्य सरकार की राय में, बोर्ड उन कर्त्तव्यों का, जो उस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, अथवा अन्यथा विधि द्वारा अधिरोपित किये गये हों, पालन करने में सक्षम नहीं हो या उनके पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करे, अथवा अपनी शक्तियों से बाहर जाय या उनका दुरुपयोग करे तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को अधिक्रान्त करने का आदेश प्रकाशित कर सकेगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिक्रान्ति आदेश-आदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और ऐसा आदेश ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रवृत्त रहेगा, और राज्य सरकार ऐसी ही अधिसूचना द्वारा समय-समय पर ऐसी कालावधि को बढ़ा सकेगी :

परन्तु ऐसे अधिक्रान्ति की कालावधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

30. अधिक्रान्ति आदेश के परिणाम:—

जब धारा 29 के अधीन अधिक्रान्ति आदेश दिया गया हो तो इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में बताई गई किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) बोर्ड तथा उसकी समितियों के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, अपने पद रिक्त करेंगे,

(ख) जिन शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन, बोर्ड या उसकी किसी समिति या अध्यक्ष द्वारा किया जाना हो, अधिक्रान्ति आदेश प्रवृत्त रहने तक उन समस्त का प्रयोग और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय और ऐसा व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा :

परन्तु प्रशासक, राज्य सरकार के नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए अपनी शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों में से किसी को भी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे या ऐसी निकाय को, जो उसके द्वारा गठित की जाय, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(ग) समस्त निकायों (कानूनी अथवा अन्यथा) में बोर्ड के प्रतिनिधि ऐसे प्रतिनिधियों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे और उनके रिक्ति पर, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, प्रशासक प्रतिस्थापित हो जायेगा।

31. प्रशासन के वेतन तथा भत्ते :—

(1) प्रशासक ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियत किये गये वेतन तथा भत्ते बोर्ड की निधि में से दिये जायेंगे।

32. कठिनाइयां दूर करने के लिए राज्य सरकार की आदेश करने की शक्तियां:—

यदि धाराओं में 29, 30 तथा 31 के अथवा अधिक्रान्ति आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा हो, तो राज्य सरकार जैसा अवसर उत्पन्न हो, आदेश द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो, की जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

33. बोर्ड का पुनर्गठन:—

जब कभी अधिक्रान्ति आदेश जारी किया जाय, तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करवायेगी कि बोर्ड का धारा 4 के अनुसार फिर से गठन किया जाये जिससे कि वह अधिक्रान्ति आदेश के अवसान पर कार्य करने के लिए तैयार रहे।

34. परित्राण:—

धारा 30 के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात

के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां प्रशासक या ऐसे किसी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं होगी जिसे प्रशासक धारा 30 खंड (ख) के परन्तुक के अधीन अपनी कोई शक्ति, कर्त्तव्य या कृत्य प्रत्यायोजित करें।

35. बोर्ड का एक निगमित निकाय के रूप में बने रहना:—

धारा 29 से 33 में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह बोर्ड के निगमित निकाय के रूप को विघटित करती है अथवा विघटन विवक्षित करती है।

अध्याय 8

विविध

36. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्तियाँ:—

(1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतः एवं पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध करने हेतु विनियम बना सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड और उसकी समितियों की प्रक्रिया ;

(ख) डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान ;

(ग) समस्त प्रमाण पत्रों तथा डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम का अधिकथन;

(घ) अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश की और उनके लिये डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों के लिए पात्रता की शर्तें ;

(ङ) बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के लिए शुल्क ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति और बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और शक्तियां ;

(ज) संस्थाओं को मान्यता की विशेष प्रसुविधायें मिलना और मान्यता का प्रत्याहरण;

(झ) बोर्ड के अधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति ;

(ञ) बोर्ड द्वारा नियोजित अधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों के फायदे के लिए भविष्य निधि का गठन;

(ट) बोर्ड के समस्त वित्तीय मामलों सम्बन्धी नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रबन्ध;

(ठ) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन तथा नाम निर्देशन;

(ड) समितियों के सदस्यों का निर्वाचन तथा नाम निर्देशन ;

(ढ) छात्रवृत्तियों तथा इनामों की संस्थिति ;

(ण) बोर्ड द्वारा स्थापित समितियों का गठन, शक्तियों, शर्तें और कर्त्तव्य ;

(त) बोर्ड और उसकी समस्त समितियों के सदस्यों की परिलब्धियां तथा भत्ते ; और

(थ) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा विहित अथवा उपबन्धित किये जाने हों, या किये जा सके ।

37. बोर्ड के प्रथम विनियमः—

प्रथम विनियमों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा और वे बोर्ड द्वारा बनाये गये समझे जायेंगे और वे जब तक बोर्ड द्वारा परिवर्तित नहीं किये जाये प्रवृत्त रहेंगे :

परन्तु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अध्यादेश 1957 (1957 का राजस्थान अध्यादेश 5) की धारा 35 के अधीन निर्मित प्रथम विनियम यदि कोई हो, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बोर्ड के प्रथम विनियम समझे जायेंगे ।

38. विनियमों की प्रतियां तथा उनमें परिवर्तनः –

धारा 36 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम की और उसके प्रत्येक उपान्तरण या प्रतिसार की या धारा 37 के अधीन निर्मित अथवा निर्मित समझे गए बोर्ड के प्रत्येक प्रथम विनियमों की एक प्रति बिना अनुचित विलम्ब के राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी ।

39. निरसन और व्यावृत्तिः—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अध्यादेश, 1957 (1957 का राजस्थान अध्यादेश 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी—

(i) राजस्थान के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यदि वह इसके द्वारा निरसित अध्यादेश की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया हो, तो उस तारीख से, जिसको उसकी इस प्रकार स्थापना की गई थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थापित बोर्ड समझा जाएगा मानो यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त था;

(ii) उक्त बोर्ड के ऐसे सदस्य चाहे पदेन अथवा निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्यों के रूप में पद धारण कर रहे हों, जो इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उस बोर्ड के विधिपूर्वक सदस्य बने रह सकते हों, इस अधिनियम के अधीन मामले की अपेक्षानुसार वैसे ही पदेन नियुक्त, निर्वाचित या नाम निर्देशित सदस्य समझे जायेंगे मानो यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त था और मानो वह इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार पदेन नियुक्त, निर्वाचित या नाम निर्देशित किए गए थे,

बावजूद इस तथ्य के कि मूलत: वे इस प्रकार नियुक्त, निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किये गये थे या नहीं किये जा सकते थे :

परन्तु जहां कोई दो या अधिक ऐसे सदस्य किसी विशिष्ट हित का प्रतिनिधित्व करते हों और इस अधिनियम द्वारा ऐसे हितधारियों की संख्या अथवा उसका प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर तुरन्त ही, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त हित का प्रतिनिधित्व करने वाले उस सदस्य का या उन सदस्यों के नाम घोषित करेगी जो ऐसी कमी के परिणामस्वरूप तत्काल पद रिक्त करेंगे;

(iii) उक्त बोर्ड के जो सदस्य पूर्वोक्त रूप से विधिपूर्वक उसके सदस्य नहीं बने रह सकते हों, वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर तुरन्त ही अपने पद से हटे हुए समझे जायेंगे;

(iv) कोई अन्य व्यक्ति, जो उक्त बोर्ड के सदस्य नहीं थे किन्तु जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना अथवा सदस्यों के रूप में निर्वाचित या नाम निर्देशित या सहयोजित किया जाना अपेक्षित है;

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसी प्रकार नियुक्त निर्वाचित, नाम निर्देशित या सहयोजित किए जाएंगे और धारा 6 के अधीन बोर्ड की अवशिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(v) इसके द्वारा निरसित अध्यादेश के किसी उपबन्ध के अनुसार या अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई जिसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया हो इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध अनुसार अथवा अधीन किया गया या की गई, यथास्थिति समझी जाएगी।

40. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन:—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रीति के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

(2) द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधन उक्त विश्वविद्यालय के परिनियमों में किए जाएंगे।

41. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की, कतिपय प्रयोजनों के लिए निरसनों तथा संशोधन को कार्यान्वित करने की शक्ति के विषय में व्यावृत्तियां:—

इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित अध्यादेश की किसी भी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम निकाय की, उक्त विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों को इस अधिनियम के

उपबन्धों के अनुकूल बनाने के लिए ऐसे परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों को निरसित करने, संशोधित करने अथवा उनमें कुछ जोड़ने की शक्ति पर प्रभाव पड़े।

42. राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माध्यमिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं के विषय में उपबन्धः—

इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा निरसित अध्यादेश में किसी बात के होने पर भी माध्यमिक शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय के विशेष प्रसुविधाओं के लिए मान्य, राजस्थान राज्य के भीतर स्थित, समस्त शैक्षिक संस्थाएं इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ऐसी शिक्षा के बारे में बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत की गई समझी जायेंगी, और बोर्ड, यथा संभव और इस अधिनियम से संगत रूप में ऐसी संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के बारे में समस्त ऐसी विशेष प्रसुविधाओं के लिए मान्य करेगा जो उन्हें उक्त तारीख से पहले विश्वविद्यालय से प्राप्त थी।

43. राजस्थान विश्वविद्यालय की माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं के लिए अध्ययन करने वाले तथा उसके लिए पात्र छात्रों को दी जाने वाली सुविधायें:—

इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन बनाए गए विनियमों में किसी बात के होने पर भी, बोर्ड ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, राज्य के भीतर स्थित और राजस्थान विश्वविद्यालय की विशेष प्रसुविधाओं के लिए मान्य संस्थाओं के छात्रों के जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले उक्त विश्वविद्यालय की माध्यमिक शिक्षा की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे थे या उसके लिए पात्र थे, शिक्षण अध्यापन तथा प्रशिक्षण के लिए और ऐसे छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों की उक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।

44. कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः—

यदि बोर्ड के प्रथम गठन के बारे में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रथम बार कार्यान्वित करने में अन्यथा कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर द्वारा अपेक्षित हो, आदेश द्वारा ऐसा कोई भी कार्य कर सकेगी, जो उसे उक्त कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत हो।

प्रथम अनुसूची

[देखिए धारा 40 (1)]

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

धारा 2— (1) खण्ड (d) में शब्द "recognised schools" लोपित किए जायेंगे।

(2) खण्ड (k) में शब्द "or school तथा "or recognised by" लोपित किए जायेंगे।

धारा 4— (1) खण्ड (1 A) में शब्द "recognised schools" लोपित किए जायेंगे ।
(2) खण्ड (4 A) में शब्द "High schools" लोपित किए जायेंगे ।
(3) खण्ड (7) में शब्द "recognised schools" लोपित किए जायेंगे ।
(4) खण्ड (9) लोपित कर दिया जाएगा ।

धारा 5— शब्द "Or High schools recognised by" के स्थान पर शब्द "affiliated to" प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

धारा 8— (1) उप-धारा (1) के खण्ड (a), (b), और (c) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—
"(a) affiliated colleges, and"
"(b) approved institutions"
(2) उप-धारा (2) में शब्द "and recognised High schools" लोपित किए जायेंगे ।

धारा 12— खण्ड (i) में शब्द "recognised schools" लोपित किए जायेंगे ।

धारा 17— खण्ड (vi) लोपित किया जायेगा ।

धारा 18— उप-धारा (1) का खण्ड (xxiv) लोपित किया जायेगा ।

धारा 21— उप-धारा (1) के खण्ड (v) में शब्द "other than Intermediate Colleges" लोपित किये जायेंगे ।

धारा 22— (1) खण्ड (1) में शब्द "Schools" लोपित किया जायेगा ।
(2) खण्ड (1) में शब्द "colleges" से पहले शब्द "affiliated" अन्तः स्थापित किया जायेगा और शब्द तथा अंक "and of those teaching the IX and X classes in High Schools" लोपित किए जावेंगे ।

धारा 23— उप-धारा (1) के खण्ड (v) में शब्द "or recognised school" लोपित किए जायेंगे ।

धारा 24 E—(1) उप-धारा (5) लोपित की जायेगी ।
(2) उप-धारा (8) का खण्ड (vii) लोपित किया जायेगा ।
(3) स्पष्टीकरण में शब्द "a recognised High School" लोपित किये जायेंगे ।

धारा 24 G संपूर्ण धारा लोपित की जावेगी ।

धारा 24 H —संपूर्ण धारा लोपित की जावेगी ।

धारा 24 J—(1) उप-धारा (1) में शब्द "recognition" जहां कहीं भी प्रयुक्त हुआ हो तथा शब्द "schools" लोपित किये जायेंगे ।

(2) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
"(2) The Board shall appoint two Committees consisting of five

members each, one to deal with applications for affiliation of colleges and the other to deal with applications for approval of institutions. The Committees shall be appointed for a period of three years."

(3) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) Subject to approval by the Syndicate, the Board may make rules for the approval and affiliation of institutions and colleges"

धारा 24M—(1) शब्द "recognition" के स्थान पर शब्द "approval" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) शब्द "as a post-graduate college, degree or intermediate college or a High School" के स्थान पर शब्द "as a post-graduate or a degree college" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(3) शब्द "or School" लोपित किए जायेंगे।

धारा 27— खण्ड (7) में शब्द "High School and" लोपित किए जायेंगे।

धारा 29 — खण्ड (8 में शब्द "and recognised high schools" लोपित किए जायेंगे।

द्वितीय अनुसूची

[देखिए धारा 40 (2)]

राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियमों में संशोधन

परिनियम 17.—खण्ड (2) के उप-खण्ड (ii) में शब्द "or recognised High School" के स्थान पर शब्द "or a high school recognised by the Board of Secondary Education for Rajasthan" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

परिनियम 25.—(1) उप-परिनियम (3) में—

(a) खण्ड (a) में शब्द "for any examination up to and inclusive of the Intermediate Examination for more than two years consecutively and" लोपित किये जायेगे।

(b) खण्ड (b) में शब्द "two or" लोपित किए जायेंगे।

(2) उप-परिनियम (5) में शब्द "school" लोपित किया जायेगा।

(3) उप-परिनियम (9) में शब्द "Except in the case of the High School and intermediate examinations" लोपित किए जायेंगे।

परिनियम 37 A. (1) उप-परिनियम (1) में –

(a) शब्द "High Schools" लोपित किए जायेंगे;

(b) खण्ड (a) लोपित किया जाएगा;

(c) खण्ड (b) में शब्द "Intermediate and" लोपित किये जायेंगे;

(d) खण्ड (d) में शब्द "High School and" लोपित किये जायेंगे;

(2) उप-परिनियम (2) में–

(a) खण्ड (a) लोपित किया जाएगा;

(b) खण्ड (b) में शब्द "Intermediate and" लोपित किये जायेंगे।

(c) खण्ड (c) में शब्द "one person for High Schools" तथा शब्द "Intermediate and" लोपित किये जायेंगे।

परिनियम 38.—संपूर्ण लोपित किया जायेगा।